भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2677
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा नीति</u>

2677. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में समर्थन देने के लिए कोई सौर ऊर्जा नीति कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में घरेलू सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है और किस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है;

(ग) देश में, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में नीति निर्माण के पश्चात् अब तक योजना-वार कितने लाभार्थी जोड़े गए हैं; और

(घ) इस नीति के अंतर्गत क्या लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। क्रियाशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

(ख) से (घ): घरेलू उपयोग में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएम एसजीएमबीवाई) की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर (आरटीएस) की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करना है। पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत प्रोत्साहन का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

दिनांक 06-12-2024 की स्थिति के अनुसार, पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत देश में कुल 1.46 करोड़ पंजीकरण, 27.45 लाख आवेदन और 6.68 लाख स्थापनाएं किए जाने की सूचना दी गई है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में, अब तक कुल 4390 पंजीकरण, 156 आवेदन और 33 स्थापनाएं किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अनुलग्नक-**I**

'सौर ऊर्जा नीति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकिति प्रश्न सं. 2677 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

देश में सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य से सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में सहायता करती है।

2. देश भर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना।

4. लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए।

अनुलग्नक-**II**

'सौर ऊर्जा नीति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकिति प्रश्न सं. 2677 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

प्रधानमंत्रीः सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के तहत आवासीय उपयोगकर्त्ताओं के लिए प्रोत्साहनों का विवरण

क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी राज्य)
1	आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
2	आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
3	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4	समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक

*****